न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–49 / 2018–19

कुमारी नलिता महतो..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
24.08.18	अपीलार्थी कुमारी नलिता महतो, पिता–श्री पंचानन महतो, पति–श्री कैलाश चन्द्र महतो, ग्राम–बुसुडीह, डाकघर–लांदुपडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–12 R27 / 2017-2018 / बुण्डू में दिनांक–24 / 07 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू / 0028	1225	378	0 एकड़ 4.75 डीसमील

अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि मैंने लेखाकारी श्री बैजनाथ महतो, पिता–स्वर्गीय शशि महतो, ग्राम–कटहर टोली बुण्डू, पोस्ट–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची से खरीदा है। जिसका दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–12 R27 / 2017-2018 / बुण्डू में दिनांक–24 / 07 / 2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि विक्रेताओं की संयुक्त खाते की भूमि है। अतः स्पष्ट वंशावली एवं बँटवारानामा की माँग की जा सकती है। अतः इस आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से वांछित दस्तावेज प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अपीलार्थी के नाम से करने हेतु नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/08/18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

24/08/18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।